

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज

(3/4/11)

नामक (कुडगांव)
 वकील वाडी अपील नं. 1/11/11 (लोक न्याय)
 LR/NT/2017/24 दिनांक 30/3/17 ले
 फर्याद लीम हलफ ह्ये अपलोपन विना गमा
 फर्याद लीम मुताबिक हाडेर प्रमाणित दिव
 नही है, न्यायक लक्ष्मी लक्ष्मी (कुडगांव) को पुन
 लीम फर्याद लीम हलफ क लेवे विना गमा
 पत्रावली दिनांक 27/4/11 को वे घटे/
 14/4

14/6/15

14/6/15
 नामक
 नामक

पत्रावली आज सकल लोक अदालत
 आदिनाम 2017 केस करे जाक पंचायत
 डाकरा में वे घटे ह्ये नामक
 नामक (कुडगांव) के पत्रावली: LR/NT/2017/25
 दिनांक 13/6/11 ले फर्याद लीम हलफ ह्ये
 अपलोपन विना गमा खला वाडी मुताबिक
 फर्याद लीम वादिनाम दिव विना गमा
 ले विना गमा प्रसुते सिखाता जाकर शासिका
 विना गमा पत्रावली के लय मुताबिक
 नामक से कर्ता
 14/4

कल

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्व लोक अदालत अभियान-2017

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा।

उनवान

मु0नं0 किरम ता0दायरा तारीख फाईनल निर्णय
75/15 दावा 18.11.15 14.06.17
समयराज पुत्र लोहड़ेलाल जाति मीना निवासी डाबरा तह0 सपोटरा जि0 करौली राज0
-वादी

बनाम

- केइन्ती पत्नि स्व0 चन्दनसिह मीना निवासी डाबरा
- अभिषेक पुत्र चन्दनसिह । नाबा0 खुद मां संरक्षिका केइन्ती पत्नि चंदनसिह
- आशीष पुत्र चन्दनसिह । जाति मीना नि0 डाबरा त0 सपोटरा जिला करौली
- रामराज पुत्र सूक्या जातिगण मीना निवासी डाबरा तहसील सपोटरा
- कजोइया । पि0 ख्याली जिला करौली राजस्थान।
- मीट्या ।
- लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली। -प्रतिवादीगण

दावा बाबत:- अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर:- 75/15

निर्णय दिनांक:- 14.06.2017

वादी की ओर से समयराज एवं प्रतिवादीगण की ओर से रामराज वगैरा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 14.06.2017 को श्री राजपाल यादव आरएएस उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि- दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर ग्राम डाबरा की विवादित आराजी का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

- समयराज पुत्र लोहड़ेलाल जाति मीना निवासी डाबरा के हिस्से मे ख0नं0 1002/4 रकबा 07 बिस्वा रहेगा।
- रामराज पुत्र सूक्या जाति मीना साकिन देह के हिस्से मे खसरा नं0 1002/3 रकबा 08 बिस्वा रहेगा।
- केइन्ती पत्नि स्व0 चन्दनसिह अभिषेक आशीष पि0 चन्दनसिह नाबा0 संरक्षिका माता खुद केइन्ती जाति मीना साकिन देह के हिस्से मे खसरा नं0 1002/2 रकबा 08 बिस्वा रहेगा।
- कजोइया मीट्या पि0 ख्याली जाति मीना साकिन देह के हिस्से मे खसरा नं0 1002/1 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 1002/5 रकबा 07 बिस्वा कुल कितता 2 कुल रकबा 15 बिस्वा रहेगा।
बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 14.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजपाल यादव)
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सपोटरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टॉम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प		अर्जी के लिए स्टॉम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टॉम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			

जोद

जोद

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठसीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
75/15	दावा	18.11.15	14.06.17

समथराज पुत्र लोहड़ेलाल जाति मीना निवासी डावरा तह0 सपोटरा जि0 करौली राज0

-वादी

बनाम

1. केइन्ती पत्नि स्व0 चन्दनसिह मीना निवासी डावरा
2. अभिषेक पुत्र चन्दनसिह । नावा0 खुद मां संरक्षिका केइन्ती पत्नि चंदनसिह
3. आशीष पुत्र चन्दनसिह । जाति मीना नि0 डावरा त0 सपोटरा जिला करौली
4. रामराज पुत्र सूक्या जातिगण मीना निवासी डावरा तहसील सपोटरा
5. कजोइया । पि0 ख्याली जिला करौली राजस्थान।
6. मीट्या ।
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली।

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत डावरा मे पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि ग्राम डावरा तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कच्चे काश्त की आराजी का बंटवारा बाबत किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई प्राथमिक निर्णय दिनांक 25.05.16 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर नाथव तहसीलदार कुड़गांव से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

नाथव तहसीलदार कुड़गांव के पत्रांक एलआर/एनटी/2017/257 दिनांक 13.06.2017 द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4,5,6 भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादी फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर ग्राम डावरा की विवादित आराजी का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. समथराज पुत्र लोहड़ेलाल जाति मीना निवासी डावरा के हिस्से मे ख0नं0 1002/4 रकबा 07 बिस्वा रहेगा।
2. रामराज पुत्र सूक्या जाति मीना साकिन देह के हिस्से मे खसरा नं0 1002/3 रकबा 08 बिस्वा रहेगा।
3. केइन्ती पत्नि स्व0 चन्दनसिह अभिषेक आशीष पि0 चन्दनसिह नावा0 संरक्षिका माता खुद केइन्ती जाति मीना साकिन देह के हिस्से मे खसरा नं0 1002/2 रकबा 08 बिस्वा रहेगा।
4. कजोइया मीट्या पि0 ख्याली जाति मीना साकिन देह के हिस्से मे खसरा नं0 1002/1 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 1002/5 रकबा 07 बिस्वा कुल कित्ता 2 कुल रकबा 15 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 13.06.2017 सरे कैम्प कोर्ट सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(राजपाल यादव)

पीठसीन अधिकारी(एसडीएम)
राजस्व लोक अदालत“न्याय आपके द्वार”
सपोटरा जिला करौली (राज0)